कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर

क्रमाँकः एफ( )अकाद छा.चु./जीजीसीए/2017/ दिनाँकः 18.08.2017

उम्मीदवारों व चुनाव प्रशासकों हेतु आचार संहिता

राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप–4)विभाग के पत्र क्रमांकः प 3(54) शिक्षा–4/2002 पार्ट दिनांक : 16.8.2017 एवं श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांकः एफ 7(4) अकाद/ निकाशि/छात्रासंघ चुनाव/2012/513 दिनांकः 16.8.2017 एवं समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव निर्धारित आचार संहिता के अनुसार संपन्न होगें।छात्रसंघ के संविधान के अनुसार छात्रसंघ चुनाव हेतु समस्त मतदाताओं, उम्मीदवारों, मतदाताओं एवं चुनाव से जुडे सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित आदर्श आचार संहिता की पालना अनिवार्य होगी।

1 छात्रसंघ के संविधान के अनुसार छात्रसंघ चुनाव हेतु प्रति उम्मीदवार रु 5000/–व्यय की अनुमति होगी।किसी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जायेगा।समस्त उम्मीदवारों को अपनी वित्तीय जवावदेही सुनिश्चित करने हेतु चुनाव परिणाम घोषित होने के 2 सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय प्रशासन को पूर्ण व अंकेक्षित लेखे सुपुर्द करने होंगे। महाविद्यालय प्रशासन ऐसे अंकेक्षित लेखों को एक उचित माध्यम द्वारा दो दिवस में प्रकाशित करायेगें जिससे छात्र निकाय का कोई भी सदस्य उनका स्वतंत्र परीक्षण कर सके।

2 छात्रसंघ चुनाव में राजनीतिक दलों से रुपयों की आवक रोकने हेतु उम्मीदवारों पर छात्र निकाय द्वारा स्वैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्त्रोत से कोई धनराशि लेना प्रतिबंधित है।

3 कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी भी प्रक्रिया/गतिविधि में लिप्त नही होगा,न ही ऐसी किसी क्रिया/गतिविधि का उत्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मतभेदों को बढावा देवें या आपसी वैमन्स्य या विभिन्न जातियों,सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करे।

4 दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी तब वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों,उनके पूर्व रिकार्ड व कार्यों तक सीमित होगी। उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों की आलोचना से बचेंगे जो अन्य उम्मीदवार की सामाजिक गतिविधियों या उनके समर्थकों से संबंधित नही हो असत्यापित आरोपों व विद्रूपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा।

5 मत प्राप्ति हेतु जातियों,सम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नही की जाएगी। पूजा स्थल चाहे वे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हों, चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल नही किये जायेंगे।

6 सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों/कार्यों में लिप्त या उनके उत्पीडन करने से प्रतिबंधित किया जायेगा जो कि भ्रष्ट आचरण या अपराध माने जाते हैं जैसे कि मतदाताओं को रिष्वत देना, मतदाताओं को डराना–धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरुपण, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर का परिधि में प्रचार या use of propaganda,चुनाव के आखरी घन्टे के 24 घन्टे पूर्व के समय में आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाना और वापिस भेजना।

7 किसी भी उम्मीदवार को छपा हुए पोस्टर्स या अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग करने की अनुमति नही होगी। उम्मीदवार प्रचार के वास्ते केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग कर सकेंगें तबकि जब हस्तनिर्मित पोस्टर्स उपरोक्त लिखित व्यय सीमा के अन्तर्गत बनाये गये हों।

8 उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग परिसर में कुछ जगहों पर कर सकेंगे जो कि पूर्व में ही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।

9 किसी भी उम्मीदवार को महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां,जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नही होगी।

10 कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी भी उद्देश्य हेतु महाविद्यालय परिसर में किसी भी सम्पति को महाविद्यालय प्रशासन की लिखित पूर्वानुमति के अभाव में खण्डित अथवा नष्ट नही करेंगें। महाविद्यालय परिसर में किसी भी सम्पति के खण्डित अथवा नष्ट करने पर सभी उम्मीदवार संयुक्त रुप से एवं बारंबार ऐसा विध्वंस अथवा खण्डन करने के दोषी होंगे।

11 चुनाव के दौरान महाविद्यालय परिसर में रैलियां निकाल सकते हैं, और जनसभा कर सकते हैं यदि ऐसी रैलियां या जनसभा किसी भी प्रकार से महाविद्यालय परिसर में चलने वाली कक्षाओं तथा दूसरी शैक्षणिक और सहशैक्षणिक क्रियाओं में व्यधान उत्पन्न न करें, साथ ही ऐसी रैली या जनसभा को महाविद्यालय प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

12 प्रचार हेतु लाउडस्पीकरों, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।

13 मतदान के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवार :–

(अ) उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित महाविद्यालय के एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सहयोग करेंगें। इस वास्ते कि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित हो सके और मतदाताओं को अपना मताधिकार करने हेतु बिना किसी नाराजगी या व्यवधान के पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

(ब) मतदान दिवस को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या दूसरी ठोस अथवा तरल भोज्य सामग्री पानी को छोडकर वितरित नही करेगें।

(स) मतदान दिवास को किसी भी प्रकार का प्रचार/प्रचार सामग्री नही बाटेंगे।

14 मतदाताओं को महाविद्यालय परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में उसे मतदान का अधिकार नही होगा। मतदाताओं के अलावा अन्य कोई भी बिना वैध पास या चुनाव आयोग के अधिकार पत्र या महाविद्यालय के अधिकार पत्र मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

15 महाविद्यालय प्रशासन शिकायत निवारण प्रकोष्ट नियुक्त कर सकेगा। यदि उम्मीदवार को चुनावों के संचालन से संबंधित कोई भी विशेष शिकायत अथवा समस्या हो तो उस समस्या को शिकायत निवारण प्रकोष्ट के ध्यान में लायेंगे।

16 मतदान समाप्ति के 48 घन्टे के भीतर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करना सभी उम्मीदवारों की संयुक्त जिम्मंदारी होगी।

17 उपरोक्त सिफारिशों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर उम्मीदवार उसकी उम्मीदवारीता खो सकेगा या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा। जैसा के प्रसंगवश हो। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा सकेगी।

18 उपरोक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (sec 153A and chapter IXA- चुनावों से संबंधित अपराध) भी छात्रसंघ चुनावों पर लागू किये जा सकेंगे।

19 चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति को जो कि महाविद्यालय का सूचीबद्ध नियमित छात्र नहीं है चुनाव प्रकिया में किसी भी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार या छात्रसंघ का सदस्य जो इस नियम का उल्लंघन करेगा वह अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का भागी होगा। इसके साथ ही उसकी उम्मीदवारी जैसा भी प्रकरण हो, रद्द की जायेगी।

20 महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र,छडी,हाकी स्टिक, चाकू तलवार,लोहे की सलाख, चेन,लाठी,पत्थर आदि रखना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

21 चुनाव परिणामों की घोषणा के पश्चात महाविद्यालय परिसर के बाहर किसी भी तरह का विजयी जुलूस नहीं निकाला जायेगा।

22 छात्रसंघ के पदाधिकारियों को चुनाव परिणामों की घोषणा के तुरन्त पश्चात पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा।

मुख्य चुनाव अधिकारी
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अजमेर

प्रतिलिपिः–

1 चुनाव सूचना पट्ट।
2 छात्रा कक्ष सूचना पट्ट।
3 संकाय कक्ष सूचना पट्ट।
4 रक्षित पत्रावली।

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर

क्रमाँकः एफ( )अकाद छा.चु./जीजीसीए/2017/ दिनाँकः 18.08.2017

उम्मीदवारों व चुनाव प्रशासकों हेतु आचार संहिता

राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप–4)विभाग के पत्र क्रमांकः प 3(54) शिक्षा–4/2002 पार्ट दिनांक : 16.8.2017 एवं श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांकः एफ 7(4) अकाद/ निकाशि/छात्रासंघ चुनाव/2012/513 दिनांकः 16.8.2017 एवं समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव निर्धारित आचार संहिता के अनुसार संपन्न होगें।छात्रसंघ के संविधान के अनुसार छात्रसंघ चुनाव हेतु समस्त मतदाताओं, उम्मीदवारों, मतदाताओं एवं चुनाव से जुडे सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित आदर्श आचार संहिता की पालना अनिवार्य होगी।

1. छात्रसंघ के संविधान के अनुसार छात्रसंघ चुनाव हेतु प्रति उम्मीदवार रु 5000/–व्यय की अनुमति होगी।किसी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जायेगा।समस्त उम्मीदवारों को अपनी वित्तीय जवावदेही सुनिश्चित करने हेतु चुनाव परिणाम घोषित होने के 2 सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय प्रशासन को पूर्ण व अंकेक्षित लेखे सुपुर्द करने होंगे। महाविद्यालय प्रशासन ऐसे अंकेक्षित लेखों को एक उचित माध्यम द्वारा दो दिवस में प्रकाशित करायेगें जिससे छात्र निकाय का कोई भी सदस्य उनका स्वतंत्र परीक्षण कर सके।
2. छात्रसंघ चुनाव में राजनीतिक दलों से रुपयों की आवक रोकने हेतु उम्मीदवारों पर छात्र निकाय द्वारा स्वैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्त्रोत से कोई धनराशि लेना प्रतिबंधित है।
3. कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी भी प्रक्रिया/गतिविधि में लिप्त नही होगा,न ही ऐसी किसी क्रिया/गतिविधि का उत्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मतभेदों को बढावा देवें या आपसी वैमन्स्य या विभ्भिन जातियों,सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करे।
4. दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी तब वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों,उनके पूर्व रिकार्ड व कार्यों तक सीमित होगी। उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों की आलोचना से बचेंगे जो अन्य उम्मीदवार की सामाजिक गतिविधियों या उनके समर्थकों से संबंधित नही हो असत्यापित आरोपों व विद्रूपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा।
5. मत प्राप्ति हेतु जातियों,सम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नही की जाएगी। पूजा स्थल चाहे वे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हों, चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल नही किये जायेंगे।
6. सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों/कार्यों में लिप्त या उनके उत्पीडन करने से प्रतिबंधित किया जायेगा जो कि भ्रष्ट आचरण या अपराध माने जाते हैं जैसे कि मतदाताओं को रिष्वत देना, मतदाताओं को डराना–धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरुपण, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर का परिधि में प्रचार या use of propaganda,चुनाव के आखरी घन्टे के 24 घन्टे पूर्व के समय में आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाना और वापिस भेजना।
7. किसी भी उम्मीदवार को छपा हुए पोस्टर्स या अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग करने की अनुमति नही होगी। उम्मीदवार प्रचार के वास्ते केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग कर सकेंगें तबकि जब हस्तनिर्मित पोस्टर्स उपरोक्त लिखित व्यय सीमा के अन्तर्गत बनाये गये हों।
8. उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग परिसर में कुछ जगहों पर कर सकेंगे जो कि पूर्व में ही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।
9. **किसी भी उम्मीदवार को महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां,जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नही होगी।**
10. कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी भी उद्देश्य हेतु महाविद्यालय परिसर में किसी भी सम्पति को महाविद्यालय प्रशासन की लिखित पूर्वानुमति के अभाव में खण्डित अथवा नष्ट नही करेंगें। महाविद्यालय परिसर में किसी भी सम्पति के खण्डित अथवा नष्ट करने पर सभी उम्मीदवार संयुक्त रुप से एवं बारंबार ऐसा विध्वंस अथवा खण्डन करने के दोषी होंगे।
11. चुनाव के दौरान महाविद्यालय परिसर में रैलियां निकाल सकते हैं, और जनसभा कर सकते हैं यदि ऐसी रैलियां या जनसभा किसी भी प्रकार से महाविद्यालय परिसर में चलने वाली कक्षाओं तथा दूसरी शैक्षणिक और सहशैक्षणिक क्रियाओं में व्यधान उत्पन्न न करें, साथ ही ऐसी रैली या जनसभा को महाविद्यालय प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
12. प्रचार हेतु लाउडस्पीकरों, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।

13. मतदान के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवार :–

14. उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित महाविद्यालय के एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सहयोग करेंगें। इस वास्ते कि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित हो सके और मतदाताओं को अपना मताधिकार करने हेतु बिना किसी नाराजगी या व्यवधान के पूर्ण स्वतंत्रता होगी।
15. मतदान दिवस को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या दूसरी ठोस अथवा तरल भोज्य सामग्री पानी को छोडकर वितरित नही करेगें।
16. मतदान दिवास को किसी भी प्रकार का प्रचार/प्रचार सामग्री नही बाटेंगे।
17. **मतदाताओं को महाविद्यालय परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में उसे मतदान का अधिकार नही होगा। मतदाताओं के अलावा अन्य कोई भी बिना वैध पास या चुनाव आयोग के अधिकार पत्र या महाविद्यालय के अधिकार पत्र मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।**
18. महाविद्यालय प्रशासन शिकायत निवारण प्रकोष्ट नियुक्त कर सकेगा। यदि उम्मीदवार को चुनावों के संचालन से संबंधित कोई भी विशेष शिकायत अथवा समस्या हो तो उस समस्या को शिकायत निवारण प्रकोष्ट के ध्यान में लायेंगे।
19. मतदान समाप्ति के 48 घन्टे के भीतर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करना सभी उम्मीदवारों की संयुक्त जिम्मंदारी होगी।
20. उपरोक्त सिफारिशों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर उम्मीदवार उसकी उम्मीदवारीता खो सकेगा या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा। जैसा के प्रसंगवश हो। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा सकेगी।
21. उपरोक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (sec 153A and chapter IXA- चुनावों से संबंधित अपराध) भी छात्रसंघ चुनावों पर लागू किये जा सकेंगे।
22. चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति को जो कि महाविद्यालय का सूचीबद्ध नियमित छात्र नहीं है चुनाव प्रक्रिया में किसी भी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार या छात्रसंघ का सदस्य जो इस नियम का उल्लंघन करेगा वह अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का भागी होगा। इसके साथ ही उसकी उम्मीदवारी जैसा भी प्रकरण हो, रद्द की जायेगी।
23. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र,छडी,हाकी स्टिक, चाकू तलवार,लोहे की सलाख, चेन,लाठी,पत्थर आदि रखना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
24. चुनाव परिणामों की घोषणा के पश्चात महाविद्यालय परिसर के बाहर किसी भी तरह का विजयी जुलूस नहीं निकाला जायेगा।
25. छात्रसंघ के पदाधिकारियों को चुनाव परिणामों की घोषणा के तुरन्त पश्चात पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा।

मुख्य चुनाव अधिकारी
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अजमेर

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय , अजमेर

क्रमाँकः एफ( )अकाद छा.चु. / जीजीसीए / 2017 / दिनाँकः 18.08.2017

कार्यालय आदेश
छात्रसंघ चुनाव 2017–18

मतदाताओं, उम्मीदवारों व चुनाव प्रशासकों हेतु आचार संहिता की पालनार्थ

राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप–4)विभाग के पत्र क्रमांकः प 3(54) शिक्षा–4 / 2002 पार्ट दिनांक : 16.8.2017 एवं श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांकः एफ 7(4) अकाद / निकाशि / छात्रासंघ चुनाव / 2012 / 513 दिनांकः 16.8.2017 एवं समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव लिंगदोह समिति द्वारा निर्धारित आचार संहिता के अनुसार संपन्न होंगें।

छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए लिंगदोह समिति द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है।

छात्रसंघ के संविधान के अनुसार छात्रसंघ चुनाव हेतु समस्त मतदाताओं, उम्मीदवारों, मतदाताओं एवं चुनाव से जुडे सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा लिंगदोह समिति द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना अनिवार्य है।

प्राचार्य एवं संरक्षक
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अजमेर

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय , अजमेर

क्रमाँकः एफ( )अकाद छा.चु./जीजीसीए/2017/ दिनाँकः 18.08.2017

छात्रसंघ चुनाव 2017–18

कार्यालय आदेश

उम्मीदवारों हेतु हेतु आचार संहिता की पालनार्थ

राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप–4)विभाग के पत्र क्रमांकः प 3(54) शिक्षा–4/2002 पार्ट दिनांक : 16.8.2017 एवं श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांकः एफ 7(4) अकाद/ निकाशि/छात्रासंघ चुनाव/2012/513 दिनांकः 16.8.2017 एवं समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2017–18 में निर्धारित आचार संहिता के निम्न प्रावधानों की पालनार्थ छात्रसंघ चुनाव में पदाधिकारी एवं कक्षा प्रतिनिधि पद के समस्त प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि:–

1. छात्रसंघ के संविधान की धारा 1 के अनुसार **छात्रसंघ चुनाव हेतु प्रति उम्मीदवार रु 5000/–व्यय** की अनुमति दी गई थी। किसी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जायेगा।
2. समस्त उम्मीदवारों को अपनी वित्तीय जवावदेही सुनिष्चित करने हेतु चुनाव परिणाम घोषित होने के **2 सप्ताह के अन्दर** महाविद्यालय प्रशासन को पूर्ण व अंकेक्षित लेखे सुपुर्द करने होंगे।

अःत समस्त प्रत्याशीं **दिनांकः 11.09.2017 सोमवार तक** छात्रसंघ के चुनाव में किये गये व्यय के पूर्ण व अंकेक्षित लेखे चुनाव कार्यालय में प्रस्तुत करें।

मुख्य चुनाव अधिकारी
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अजमेर